निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 89 / 2024
दायरा दिनांकः– 07.11.2024
निर्णय दिनांकः– 27.8.25

उनवान

1. रामनारायण पुत्र जानकीलाल
2. नरनारायणसिंह पुत्र जानकीलाल
3. नरेशबाबू पुत्र जानकीलाल
4. कवंरीबाई पत्नि जानकीलाल जातियान लोधा निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
5. रूकमणी पत्नि उदयसिंह पुत्री जानकीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
6. भूलीबाई पत्नि कल्याणसिंह पुत्री जानकीलाल जाति लोधा निवासी कोलुआ तहसील राधोगढ़ जिला गुना मध्यप्रदेश
7. कंचनबाई पत्नि भगवानसिंह पुत्री जानकीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भौरा तहसील बमोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
8. रामसुखीबाई पत्नि श्रीराम पुत्री जानकीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम पीपलखेडी तहसील कुम्भराज जिला गुना मध्यप्रदेश

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदकिशोर पुत्र खुमान
2. गजानंद पुत्र खुमान
3. हीराचंद पुत्र खुमान
4. जयनारायण पिता जानकीलाल माता राजबाई जातिगण लोधा निवासीगण टूटीबरडी (अलीनगर) तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नीरज माहेश्वरी – प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक – अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बोरखेड़ी तहसील छबड़ा की खाता संख्या 18 की भूमि खसरा नम्बर 76/1 रकबा 0.5059 हैक्टयर (2) बीघा) एंव खसरा नम्बर 77 की 2.4913 हैक्टयर (9 बीघा 17 बिस्वा) कुल किता 2 कुल रकबा 2. 9972 हैक्टयर (11 बीघा 17 बिस्वा) स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन उक्त वर्णित भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर के खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम मोहम्मदपुर तहसील छबड़ा के खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 28/4 रकबा 2.0234 हैक्टयर (8 बीघा) आराजी स्थित है जो कि प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे काश्त में चली आ रही है। लेकिन वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं अप्रार्थी संख्या 4 की मृतक माता राजबाई के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा वाके ग्राम मोहम्मदपुर में खाता संख्या 33 की कुल किता 8 कुल रकबा 6.6648 हैक्टयर (26 बीघा 07 बिस्वा) स्थित है जो कि जानकीलाल पुत्र माधोलाल के वारिसान प्रार्थीगण एव रामबक्श पुत्र माधोलाल के वारिसान के 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज खाता चला आ रहा है। जो इससे पूर्व माधोलाल के तीन पुत्र कमश जानकीलाल, खुमान एव रामबक्श के शामलाती खातेदारी में थी। लेकिन पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16/02/2004 के माध्यम से उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता जानकीलाल एंव रामबक्श के खातेदारी में जर्ये डिकी दिनांक 05/10/2004 से नाम दर्ज हुई और उक्त खाते में से खुमान पुत्र माधोलाल का नाम निरस्त किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा वाके ग्राम अलीनगर उर्फ टूटीबरर्डी के खाता संख्या 46 की कुल किता 11 कुल रकबा 4.2364 हैक्टयर (16 बीघा 15 बिस्वा) स्थित है जो कि खुमान पुत्र जानकीलाल के वारिसान अप्रार्थीगण के दर्ज खाता चला आ रहा है। जो इससे पूर्व माधोलाल के तीन पुत्र क्रमशः जानकीलाल खुमान एव रामबक्श के शामलाती खातेदारी में थी। लेकिन पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16/02/2004 के माध्यम से उक्त आराजी मे से जानकीलाल, रामबक्श पिसरान माधोलाल का नाम खाते से निरस्त करने का आदेश दिया गया। वाके ग्राम अलीनगर उर्फ टूटीबरडर्डी के खाता संख्या 46 एव मोहम्मदपुर के खाता संख्या 33 की उक्त वर्णित मद नम्बर 3 व 4 की भूमि को पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16/02/2004 के माध्यम से दुरूस्त किया जाकर खाते दर्ज किये गये। इस कारण पारिवारिक समझौता पत्र परिवार का बंटवारा हेतु आवश्यक एंव महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त पारिवारिक समझौता पत्र की मद नम्बर 4 में माधोलाल के वारिसान की आपसी सहमति से निष्पादित कर यह भी अंकित किया गया था कि वाके ग्राम बोरखेडी तहसील छबड़ा के खाता संख्या 18 की भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 3 बीघा एंव खसरा नम्बर 77 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो कि नंदकिशोर आत्मज खुमान के खातेदारी मे दर्ज है। जिस पर वर्षों से जानकीलाल पुत्र माधोलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे भी जानकीलाल अपने खाते बंधाने का अधिकार रखेगा। और उक्त भूमि मे भी आवश्यक हुआ तो नंदकिशोर जानकीलाल के खर्चे से रजिस्ट्री बेय नामा करायेगा। इस भूमि पर भी खुमान अथवा नंदकिशोर का कोई अधिकार नही होगा। इसी प्रकार उपरोक्त पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16/02/2004 की मद नम्बर 3 में भी यह अंकित किया गया कि खुमान हमेशा से ग्राम सेमली में निवास कर रहा है उस पर कब्जा जानकीलाल का वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 8 बीघा पर एक मात्र खातेदारी एंव कब्जा जानकीलाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2/7

पुत्र माधो का रहेगा। और इसी भूमि पर खुमान अथवा नंदकिशोर का कोई अधिकार नही होगा। और जानकीलाल उक्त भूमि को अपने खाते बंधाने का अधिकारी रहेगा। यदि कोई कानूनी अडचन आवेगी तो खुमान और उसका लड़का नंदकिशोर जानकीलाल के खर्चे से जर्ये रजिस्ट्री वेय नामा तस्दीक करा देगा। ग्राम बोरखेड़ी एंव अलीनगर उर्फ टूटीबरर्डी की कुल 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी जो कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित है। को स्वयं जानकीलाल ने खुमान व उसके पुत्र नंदकिशोर के खाते दर्ज करवाया था। क्योकि उस समय माधोलाल के सभी पुत्र साथ रहते थे। लेकिन उक्त आराजी पर कब्जा काश्त हमेशा जानकीलाल का ही रहा है। और खुमान हमेशा ग्राम सेमली में निवास करता चला आया था। इसी कारण से दीवानी वाद व राजस्व न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के दौरान दिनांक 16/02/2004 को माधोलाल के तीनो पुत्र द्वारा आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता पत्र निष्पादित किया। और उसी के अन्तर्गत आज दिन तक माधोलाल के पुत्र एंव उनके वारिसान अपना कब्जा काश्त बनाये हुए है। इस प्रकार वादीगण का प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 व 3 में वर्णित भूमि पर गत 40 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर अबाध रूप से कब्जा काश्त बना हुआ है। और प्रार्थीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ तथा पारिवारिक समझौता पत्र के माध्यम से खातेदार हो चुके है।

प्रार्थीगण के पिता जानकीलाल की मृत्यु हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके है। तथा अप्रार्थीगण के पिता खुमान की मृत्यु हुए 13–14 वर्ष हो चुके है। जानकीलाल के द्वारा उक्त आराजी विवादग्रस्त को पारिवारिक समझौता पत्र के अन्तर्गत उनके खाते बंधाने का खुमान व उसके पुत्र नदकिशोर से अनैक बार निवेदन किया। लेकिन उनके द्वारा हमेशा ही यह कहा जाता रहा कि तुम्हारा शुरू से ही इस पर कब्जा है। और हम गांव में भी नहीं रहते है। तो क्या दिक्कत है। जमीन पर काश्तकारी ऋण होने की बात भी कहते रहे और आपसी विश्वास एंव परिवार के व्यक्ति होने के कारण से उक्त जमीन जानकीलाल के खाते दर्ज नही हो सकी। इसके पश्चात जानकीलाल के वारिसान प्रार्थीगण द्वारा भी अनेको बार उक्त दोनो खातो की जमीन उनके नाम कराने का अप्रार्थीगण से निवेदन किया। लेकिन हमेशा उनके द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 28/4 में गत वर्ष लहसुन व मक्का एवं इस वर्ष लहसुन व गेहूँ की फसल काश्त की है तथा खसरा नम्बर 76 व 77 मे गत वर्ष फसल गेहूँ व मक्का एंव इस वर्ष मक्का व सरसो की फसल काश्त की है। और मौके कभी भी प्रार्थी एव अप्रार्थीगण का काश्त को लेकर वाद विवाद नही हुआ है। तथा साथ ही प्रार्थीगण ने उक्त विवाद ग्रस्त आराजी को उन्नत एंव कृषि योग्य बनाने में काफी वर्षों तक समय व धन खर्च किया है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण एवं उसके पिता खुमान को थी। इस वर्ष गत माह दिनांक 26/10/2024 को प्रार्थीगण ने पुनः अप्रार्थीगण से उक्त पारिवारिक समझौता के अन्तर्गत मद नम्बर 1 व 2 मे वर्णित भूमि को अपने खाते दर्ज कराने का मौखिक निवेदन किया। तो इस बार अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज कराने से साफ इन्कार कर दिया। तथा कहा कि उक्त आराजी को बेचने का सौदा चल रहा है। और हम हमारे खाते की उक्त जमीन को अन्यत्र बेचान करके हस्तान्तरित कर देगे। तथा साथ ही कहा कि हम पारिवारिक समझौता को नही मानते है। उपरोक्त समझौता पत्र दिनांक 16/02/2004 में वर्णित मद नम्बर 3 व 4 से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण बाध्य है। और उक्त समझौता पत्र के माध्यम से अन्य खाते की जमीन में दुरूस्ती भी हो चुकी है। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

3|7

अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने से उनके द्वारा समझौता पत्र की पालना करने से साफ इन्कार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई उपचार उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26/10/2024 को प्रार्थीगण के मौखिक निवेदन पर उक्त विवादग्रस्त आराजी को अन्यत्र बेचान आदि करके हस्तान्तरित करने की धमकी दी गई है। और इस धमकी के फलस्वरूप यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव पारिवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि को खातेदारी का फायदा उठाकर बेचान इत्यादि करके हस्तान्तरित कर दी तो प्रार्थीगण को अपरिमित हानि उठानी पडेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से असंभव होगी। साथ ही प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के साथ अनेकानेक वाद विवादों मे व्यर्थ ही उलझना पड़ेगा। प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम बोरखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 18, नकल जमाबंदी ग्राम मोहम्मदपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 25, नकल जमाबंदी ग्राम मोहम्मदपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 33, नकल जमाबंदी ग्राम अलीनगर उर्फ टूटीबरडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 46, फोटो प्रति पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16.02.2004, फोटोप्रति नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2004 खुमान सिंह बनाम जानकीलाल पेश की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंब 28/4 रकबा 2.0254 हैक्टेयर (08 बीघा) भूमि ग्राम मोहम्मदपुर में अप्रार्थी कम 1 ता 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नंबर 76/1 रकबा 0.5059 है0 (02 बीघा), खसरा नंबर 77 कबा 2.4913 है0 (09 बीघा 17 बिस्वा) कुल दो किता रकबा 2.9972 है0 (11 बीघा 17 बिस्वा) वाके ग्राम बोरखेड़ी तहसील छबड़ा अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र में तथाकथित फैमिली सेटलमेन्ट दिनांक 16.02.2004 के आधार पर वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि तथाकथित फैमिली सेटलमेन्ट पर अप्रार्थीगण के सहमति बाबत् हस्ताक्षर नहीं होने से अप्रार्थीगण उक्त दस्तावेज में वर्णित शर्तों की पालना हेतु किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। उक्त दस्तावेजात अपने आप में अपूर्ण दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तथाकथित दस्तावेज दिनांक 16.02.2004 को निष्पादित होना बताया है। उक्त तिथि को अप्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता खुमान एवं वादी के पिता जानकीलाल के खिलाफ प्रार्थी के पिता जानकीलाल के भाई एवं अप्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता खुमान के भाई रामबख्श द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश छबड़ा में पेश कर रखा था। जिसमें राजीनामा हुआ था, उक्त राजीनामे में वाद में वर्णित भूमियात खसरा नंबर 28/4 वाके ग्राम मोहम्मदपुर व खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

76/1, 77 वाके ग्राम बोरखेड़ी बाबत् कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी। लेकिन उक्त राजीनामे की आड़ में तथाकथित समझौता फर्जी रूप से तैयार करवा लिया गया। न्यायालय में पेश राजीनामे पर रामबख्श का अंगुठा है, लेकिन तथाकथित दस्तावेज में रामबख्श के स्थान पर उसके पुत्र प्रेमनारायण के हस्ताक्षर है। इस प्रकार एक तिथि व एक ही समय पर निष्पादित दो दस्तावेज में एक दस्तावेज में रामबख्श का अंगफठा तथा एक दस्तावेज प उसके हस्ताक्षर नहीं होकर उसके पुत्र प्रेमनारायण के हस्ताक्षर होने बाबत् भिन्नता होने से यह पूर्णतया साबित हो जाता है कि तथाकथित फैमिली सेटलमेन्ट फर्जी एवं बनावटी होने से प्रार्थीगण उक्त दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 76/1 रकबा 0.5059 है० (02 बीघा), खसरा नंबर 77 कबा 2.4913 है0 (09 बीघा 17 बिस्वा) कुल दो किता रकबा 2.9972 है0 (11 बीघा 17 बिस्वा) वाके ग्राम बोरखेड़ी अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर को एलोट हुई थी। तब से आज तक अप्रार्थी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमि बाबत् किसी भी प्रकार के इकरारनामे होना एवं तथाकथित फैमिली सेटलमेन्ट में अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर उक्त दस्तावेज में वर्णित शर्तों की पालना हेतु किसी भी प्रकार से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। तथाकथित फैमिली सेटलमेन्ट की मद नंबर 3 में अंकित है कि मोहम्मदपुर की खसरा नंबर 28 रकबा 08 बीघा भूमि अप्रार्थी कम 1 नंदकिशोर के खाते हैं, जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता खुमान की स्वअर्जित भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नहीं है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिथ्या तथ्य अंकित कर वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। तथाकथित पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया है। जबकि पारिवारिक समझौता पत्र में वर्णित शर्तों की पालना हेतु प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण का वाद रेवेन्यू प्रकृति का नहीं होकर सिविल प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं होने से वाद/प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। उक्त वाद/प्रार्थना पत्र से पूर्व प्रार्थीगण के पिता जानकीलाल द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ इसी भूमि बाबत् इन्ही समान तथ्यों पर आधारित एक वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था। जो दिनांक 13.05.2019 को खारिज फरमा दिया गया था। इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा जानकीलाल की मृत्यु के पश्चात एवं वाद खारिज होने के 5 वर्ष पश्चात पुनः इन्हीं आधारों पर प्रार्थीगण द्वारा नया वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है, जो रेज्यूडिकेटा की परिधि में आने से चलने योग्य नहीं होने से खाजि होने योग्य है। वाद में वर्णित भूमियात को तथाकथित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

5/7

दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त भूमियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कानूनी रूप से किसी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नहीं होने से प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम बोरखेडी, मोहम्मदपुर, अलीनगर टूटीबरडी तहसील छबडा मे स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 16.02.2004 को पारिवारिक समझौता किया गया था। पारिवारिक समझौते के आधार पर माधोलाल के पुत्र एवं उनके वारिसान कब्जा काश्त बनाये हुये है। प्रार्थीगण का गत 40 वर्षो से अधिक समय से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ पारिवारिक समझौता पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी के पिता खुमान सिंह की मृत्यू से पूर्व एवं खुमान सिंह के वारिसान से भूमि खाते बंधाने का निवेदन किया परंतु अप्रार्थीगण द्वारा पारिवारिक समझौता के आधार पर भूमि खाते नहीं बंधवाई गई। प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी को उन्नत एवं कृषि योग्य बनाने मे काफी वर्षो तक समय व धन खर्च किया है। अप्रार्थीगण पारिवारिक समझौता को नही मानते है एवं उक्त जमीन को बेचान करने पर आमादा है। अप्राथीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं पारिवारिक समझौता से प्राप्त भूमि को खातेदारी का फायदा उठाकर बेचान इत्यादि करके हस्तान्तरित कर दी तो प्रार्थीगण को अपरिमित हानि उठानी पडेगी। प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादो मे व्यर्थ ही उलझना पडेगा। अतः विवादित भूमि के मूल वाद का निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के कदीमी चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे एवं उक्त आराजी को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को रहन, बेचान, दान इत्यादि करने हस्तान्तरित अथवा खुर्द बुर्द नही करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम बोरखेडी, मोहम्मदपुर, अलीनगर टूटीबरडी तहसील छबडा मे स्थित है। जो अप्रार्थागण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिस पर प्राथीगण को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 16.02.2014 पर अप्राथीगण के सहमति बाबत हस्ताक्षर नहीं होने से अप्रार्थीगण उक्त दस्तावेज की पालना हेतु किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। पारिवारिक समझौता पत्र फर्जी एवं बनावटी है। समझौता पत्र मे वर्णित शर्तो की पालना हेतु प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय मे वाद पेश करना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। माननीय न्यायालय मे इसी भूमि बाबत एक प्रार्थना पत्र जानकीलाल द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया था। जो दिनांक 13.05.2019 को खारिज हुआ था। पुनः प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6/7

या वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया है, जो रेज्यूडिकेटा की परिधि मे आने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 18 मे नंदकिशोर पुत्र खुमान सिंह जाति लोधा साकिन मोहम्मदपुरा बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम मोहम्मदपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 25 में खुमानसिंह के वारिसान बतोर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम मोहम्मदपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 33 में जानकीलाल व रामबक्श के वारिसान का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम अलीनगर उर्फ टूटीबरडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 46 मे खुमान सिंह के वारिसान का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिकारों का साक्ष्य/सबूतो के आधार पर मूल वाद मे निस्तारण किया जाना है, तब तक वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द करने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोंचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बोरखेडी तह. छबडा की खाता सं. 18 की भूमि खसरा नं. 76/1 रकबा 0.5059 है. एवं खसरा नं. 77 रकबा 2.4913 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.9972 है. एवं ग्राम मोहम्मदपुर तह. छबडा के खाता संख्या 25 के खसरा नं. 28/4 रकबा 2.0234 है. आराजी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)